कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर संभाग

राजस्थान सरकार

☆ प्रमाण-पत्र ☆

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनीन प्रन्यास, राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ४२) के अधीन सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर संभाग, बीकानेर के कार्यालय में आज के दिन रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है :—

सार्वजनिक प्रन्यास का नाम लक्ष्य चेरीटेबल ट्रस्ट, विवेकानन्द चौक वार्ड नं0 18

सूरतगढ़ - जिला श्री गंगानगर

सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या :- 5/2008

प्रमाण-पत्र .... अध्यक्ष पदेनाम .... को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षरों से आज दिनांक........27..........माह 05 ....सन् २००८ को दिया गया।

(मोहर)

हस्ताक्षर सहायक आयुक्त ....

दिनांक देवस्थान बीकानेर संभाग बीकानेर ....

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

E 775494

EX 2

श्री न्यास संलेख (ट्रस्ट डीड)

यह न्यास लेख पत्र(ट्रस्ट डीड) आज दिनांक 11.12.2007 को लिख ... एवम विश्वसनियता के साथ मैं लक्ष्मी देवी शर्मा पत्नि श्री सुनील कुमार शर्मा उम्र 44 वर्ष जाति ब्राहमण,निवासी वार्ड नं 18,विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज0)इसे जनहितार्थ निष्पादित कर रही हूँ।

12.3.08

21 NOV 2007

जोकि मैंने(लक्ष्मी देवी शर्मा) अपने स्वंय के परिश्रम व कारोबार करके धनोपार्जन किया है। अब मैं अपनी प्रर्जित धन राशि से वर्तमान व भावी पीड़ी के लिए कुछ शुभ एवमं हितार्थ कार्य करने के लिए एक ट्रस्ट का गठन कर रही हूँ। इसी प्रयोजन में सामाजिक, सास्कृतिक,धार्मिक,शैक्षिणक एव जनसाधारण के विकासार्थ कार्यो को बिना किसी वर्ण, वर्ग, जाति, लिंग भेद, के आयोजित किये जायेंगे। इस निमित प्रारम्भिक तौर पर स्वंय के पास से अखरे रुपये 5100/-की धनराशि ट्रस्ट के लिए प्रदान कर ट्रस्ट की स्थापना की है।

ट्रस्ट (न्यास का स्वरुप)

1. ट्रस्ट का नामः- लक्ष्य चैरीटेबल ट्रस्ट। सुरतगढ़ जिला श्री गंगागनर।
2. ट्रस्ट कार्यालयः- विवेकानन्द चौक,वार्ड नं018,सुरतगढ़-335804 जिला श्री गंगानगर।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्रः- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सुरतगढ़ एवं आवश्यकतानुसार समस्त भारत क्षेत्र में होगा।
4. ट्रस्ट अध्यक्षः- मैं लक्ष्मी देवी शर्मा (प्रमुख सैटलर)इस ट्रस्ट की आजीवन अध्यक्ष हूँ व रहूंगी।

मेरे अतिरिक्त प्रारम्भिक रुप से ट्रस्ट के पांच अन्य निम्नलिखित आजीवन ट्रस्टी होगें।

लक्ष्मी देवीशर्मा राजीव कुमार

मिलान किया

क्रमांक 9436 दिनांक 11-12-2007

लक्ष्मी देवी

पं० सुशील कुमार

वार्ड नं० 18

स्टाम्प विक्रेता सूरतगढ़ (राज.)

पवन कुमार

आज दिनांक 11 माह December सन् 2007 को 15:49 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री LAKSHMI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUSHIL KUMAR
उम्र 44 वर्ष, जाति BRAHMAN व्यवसाय HW
निवासी WARD NO 18 VIVEKANS CHOK SOG
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

लक्ष्मी देवी शर्मा

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2007005417)
(Trust Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SURATGARH

रसीद नं० 2007004172 दिनांक 11/12/2007
पंजीयन शुल्क रू० 150/-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 100/-
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-
अन्य शुल्क रू० 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 0/-
कुल योग रू० 250/-

(2007005417)
(Trust Deed)

उप पंजीयक, SURATGARH

कार्यालय उप-पंजियक, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

मिलान किया।

सत्यापित प्रतिलिपि
सहायक प्रारूपकार

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

5. ट्रस्टी के नाम एव पतेः-

क्र.सं.	नाम	पता	उम्र
1	श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा पत्नि श्री सुशील कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	44
2	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	29
3	श्रीमती धीरज पत्नि श्री राजीव कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	20
4	श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री सुशील कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	23
5	श्रीमती बिन्दू यादव पत्नि श्री उमाशंकर यादव	3/102,आरएचबी कॉलानी, सुरतगढ़।	39
6	श्री सत्येन्द्र कुमार सुरा पुत्र श्री शिव नारायण रामसुरा	जीएफसी कॉलानी ,सुरतगढ	37

6. ट्रस्टीज की संख्याः- लक्ष्य चैरीटेबल ट्रस्ट,सुरतगढ़ वार्ड नं 18 विवेकानन्द चौक सुरतगढ़ के विशेष सदस्यों की अधिकतम संख्या असीमित हो सकेगी। उपरोक्त मेरे सहित कुल 6 ट्रस्टीज मिलकर सहमति से विशेष सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगे। लेकिन इसमे अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होगा।

7. विशेष ट्रस्टीजः- इस ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष (प्रमुख सैटलर) श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा के अतिरिक्त पांच अन्य न्यासीगण के नाम व पते ऊपर प्रारम्भिक रूप से दिये गये है, होंगे। इन कुल 6 के अतिरिक्त असीमित सदस्य सभी ट्रस्टीज की सहमति से बनाये जा सकेगे व हटाये जा सकेगे। लेकिन इसमें अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होगा। किसी भी एक ट्रस्टी को ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय व रहन किसी प्रकार से करने का अधिकार नही होगा। विशेष सदस्यों को मत का अधिकार नही होगा।

7(1) किसी भी ट्रस्टी की कमी होने,स्वेच्छा से न्यास सदस्यता से मुक्त होने या अपरिहार्य कारणों से सदस्य न रहने पर ट्रस्टियों के वारिसान मे से ही ट्रस्टी सदस्य होगे, अन्य किसी को बाहर से ट्रस्टी सदस्य नही लिया जायेगा।

7(2) किसी भी प्रकार के ट्रस्ट विषयक विवाद या ट्रस्टी विवाद या आयोजन/विकास/प्रबन्ध प्रकरण मे अंतिम निर्णय अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा का ही अधिकृत/मान्य होगा।

लक्ष्मी देवी शर्मा राजीव कुमार धीरज उपाध्याय Deepak सत्येन्द्र कुमार

प्रमाणित प्रतिलिपि

मिलान किया

हस्ताक्षर फोटो

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-LAKASAMI DEVI/SUSHIL KUMAR
Age:44, Caste-BRAHMAN
Ocu.-HW
R/O-WARD NO 18 VIVEKAND CHOK SOG

2-RAJIV KUMAR/SUSHIL KUMAR
Age:29, Caste-BRAHMAN
Ocu.-BUSS
R/O-WARD NO 18 SOG

3-DHIRAJ KUMAR/RAJIV KUMAR
Age:20, Caste-BRAHMAN
Ocu.-BUSS
R/O-WARD NO 18 SOG

4-DEEPAK KUMAR/SUSHIL KUMAR
Age:23, Caste-BRAHMAN
Ocu.-BUSS
R/O-WARD NO 18 SOG

5-BINDU /UMASHANKAR
Age:39, Caste-YADAV
Ocu.-HW
R/O-3/102 RHB KALONI SOG

6-SATAY ENDER KUMAR/SHIV NARAYAN
Age:37, Caste-JAAT
Ocu.-BUSS
R/O-GFC KALONI SOG

ने लेख्यपत्र Trust Deed
को पढ़ .सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री AMARIN SINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MUNDAN SINGH उम्र 34 वर्ष
जाति MAJAHABI व्यवसाय SARVICE
निवासी WARD NO 02 VIJAY NAGAR

2. श्री / श्रीमती / सुश्री AASHUTOSH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SHIV KUMAR उम्र 23 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय BUSS
निवासी WARD NO 01 SOG ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, SURATGARH

(2007005417)
(Trust Deed)

मिलान

7(3) प्रन्यास(ट्रस्ट) से जुड़े विवाद या अन्य कानूनी कार्यवाही में दावा या विवाद ट्रस्ट के नाम से ही होगा। जवाब-देही सगाइती। एवं विधिक स्थिति में न्याय क्षेत्र सुरतगढ़ ही होगा।

8. उद्देश्य एवं लक्ष्यः-

1. उच्च शिक्षा का प्रचार,प्रसार एव व्यवस्था करना व साक्षरता एवम सतत् शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना।
2. अच्छे एवं योग्य नागरिक बनाना।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु कार्य करना।
4. महिलाओं के सामाजिक,आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु कार्य करना।
5. शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग करना एवं खोज करना। वृद्ध आश्रम व अनाथालय आश्रम संचालित करना।
6. नैतिक शिक्षा पर विशेष बल देना, जिससे संस्था के छात्रों मे अनुशासन,शौर्य,स्वावलम्बन एवं आपसी प्रेम उत्पन्न हो। लोकतान्त्रिक मूल्यों का पोषण करना।
7. खेलकूद एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना जिससे हष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ नागरिकों का निर्माण किया जा सके।
8. परित्यकता महिलाओं की उन्नति हेतु समस्त कल्याणकारी कार्य करना व संकटग्रस्त महिलाओं को प्रशिक्षण देना,मद्य-निषेध हेतु प्रचार प्रसार करना,हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार करना,बाल विवाह रोकथाम,दहेज प्रथा विरोधी कार्यक्रम चलाना,बाल-बाड़ी पोषाहार,शिशु पालना घर,केन्डेन्स कोर्स चलाना,जन-जागृति हेतु किसी भी कार्य को बढ़ावा देते रहना, स्वास्थ्य निरीक्षरता निवारण व पर्यावरण के लिए जनमानस तैयार करना, परिवार कल्याण हेतु शिविरों का आयोजन करना अन्य किसी भी जनहित के कार्य करने में संस्था अग्रणीय रहेगी।
9. बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साधनों को जुटाना।
10. कला व्यायाम से व नव शिक्षण पद्धति से बालकों का मानसिक-शारीरिक व बौद्धिक विकास करना व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
11. मानव धर्मो में शिक्षा संस्था विद्यालय,बालवाड़ी नर्सरी स्कूल(माध्यमिक,उच्च माध्यमिक) महाविद्यालय,प्रशिक्षण कॉलेज(बी.एड.कॉलेज) व्यवसायिक एवं टैक्नीकल शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज,मेडीकल कॉलेज,फार्मेसी कॉलेज व विश्व

लक्ष्मी देवी शर्मा - राजीव कुमार पारीक उपाध्याय

मिलान किया

आज दिनांक 11/12/2007 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 17
में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2007000059 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 22
के पृष्ठ संख्या 318 से 331 पर
चस्पा किया गया।

Note: (u/s 39) - Document is under processing.

(2007005417)
(Trust Deed)

उप पंजीयक, SURATGARH

आज दिनांक 11/12/2007 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 17
में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2007000059 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 22
के पृष्ठ संख्या 318 से 331 पर
चस्पा किया गया।

(2007005417)
(Trust Deed)

उप पंजीयक, SURATGARH

11(1) ट्रस्ट मंडल को यह अधिकार होगा कि ट्रस्ट में आय की वृद्धि हेतु सम उद्देश्य व्यक्ति से प्राप्त अनुदान को स्वीकार करें। यह योगदान धन,वस्तु (चल या अचल) सम्पत्ति के रूप में हो सकता है। दान प्राप्त करने में ट्रस्टीज की राय सर्वसम्मत आवश्यक है।

11(2) राजकीय अनुदान एवमं अन्य ऐजेंसिया एवमं भारत सरकार व एन.आर.आई से भी दान प्राप्त किया जा सकता है।

11(3) प्राप्त दान किसी उद्देश्य विशेष या कार्य के लिए है तो उस राशि का व्यय उसी कार्य के लिए होगा।

11(4) आय व्यय का अधिकृत सी.ए.द्वारा तलपट करवाना व जांच अनिवार्य रूप से बजट वर्ष में 31 मार्च तक की होगी।

11(5) उक्त ट्रस्ट का संचालन एवं इस ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाने वाली संस्थाओं की देखरेख उसका लेखाजोखा समस्त प्रकार का हिसाब किताब निजी तौर पर तथा सरकारी दफतरों में इस ट्रस्ट के अधिकृत ट्रस्टी ही करेंगे। और जब तक सैटलर ट्रस्टी मोजूद है वह स्वयं या किसी ट्रस्टी को अधिकृत करके करवायेगे।

11(6) इस ट्रस्ट का खाता नजदीक में स्थित किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक या प्राइवेट सैक्टर बैंक में खोला जायेगा। इस खाते से लेन देन का सम्पूर्ण कार्य प्रमुख सैटलर अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा एवमं श्री राजीव कुमार दोनो में से किसी एक के साईन द्वारा किया जायेगा।

11(7) इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक स्थायी राशि 5100/- रूपये का निकलवाने या प्रयोग में लेने का अधिकार किसी को भी नही होगा।

11(8) ट्रस्ट यदि ऋण की आवश्यकता अनुभव करता है तो वह ऋण संबंधी शर्तों के अन्तर्गत ट्रस्ट की सर्वसम्मति एवं अध्यक्ष की स्वीकृत पर कर सकेगा।

12. ट्रस्ट की कार्यप्रणाली(संचालित इकाईयों हेतु):- ट्रस्ट संचालित इकाईयों के सुचारू संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का गटन निम्नलिखित रूप से कर सकेगा। इसके पदाधिकारी निम्न होगें।

1. व्यवस्थापक अध्यक्ष
2. व्यवस्थापक उपाध्यक्ष
3. व्यवस्थापक मंत्री
4. व्यवस्थापक कोषाध्यक्ष
5. कार्यकारी सचिव-प्रिसीपंल जो मीटिंग आदि का संधारण करेगा इन्हें वोट का अधिकार नही होगा।

मिलान किया

विद्यालय की स्थापना करेगी तथा छात्रावास,आश्रम,सामुदायिक केन्द्र,प्रशिक्षण केन्द्र आदि के निर्माण एवं संचालन का कार्य करेगी तथा मैनेजमेंट,पत्रकारिता,कला,साहित्य,उपभोक्ता प्रशिक्षण देने एवं शोध पत्र तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने आदि के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी स्थापित करेगी। सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों में तकनीकी/प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करवायेगी।

12. जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए औषधालयों,नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सुधार केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रो,आयुवैदिक तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना,व्यवस्था करना। इस कार्य हेतु सरकार से भूमि-धन एवं योग्य चिकित्सकों की मांग करना,व्यवस्था करना और जन हितार्थ कार्य करना। ब्लड बैंक आई बैंक स्थापित करना और उन्हे संचालित करना। एड्स रोकथाम,परिवार नियोजन एव परिवार कल्याण हेतु प्रचार प्रसार करना।

13. पशुपालन,मत्स्य पालन,रेशा कीट पालन केन्द्र खोलना गरीब और असहाय मानव को रोजगार प्रदान करना,अनुसंधान केन्द्र खोलना,प्रशिक्षण केन्द्र खोलना और इस कार्य के लिए सरकारी/गैर सरकारी सहायता ऋण व अनुदान प्राप्त करना। जल सरंक्षण,जल शुद्धि करण, पर्यावरण सरंक्षण,जैविक खेती,वैकल्पिक ऊर्जा संरक्षण कार्यकम,सौर ऊर्जा,गोबर गैस कार्यकम का प्रचार प्रसार करना।

14. मानव समाज में शहर,ग्रामीण एवं पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों के युवावर्ग मे तकनीकी प्रशिक्षण जैसे-शोध शिक्षा,स्वास्थ्य,मानव व्यवहार,कृषि विकास,पर्यावरण,हस्तशिल्प,पत्रकारिता,सौन्दर्य प्रसाधन,फैशन डिजाईनिंग,चिकित्सा लैब, आधुनिक तकनीकी,कम्प्यूटर प्रशिक्षण,आर्टक्राफट व वाद्य संगीत,फोटोग्राफी,कटिंग टेलरिंग,चर्म उधोग व टाईप और शार्ट हैण्ड, पौधे उगाना,टी.वी. व रेडियो प्रशिक्षण,जल प्रदूषण पर रोक,मानव अत्याचारों पर रोक,महिलाओं को समान अधिकार एवं आत्मनिर्भर बनाने पर बल देना। संचार सांधनो का प्रशिक्षण। एवं प्रचार प्रसार करना।

15. संस्था के सदस्यों की आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों जैसे शादी,विवाह,जीवन-मरण,बीमारी मे मदद करना व दलित शोषित व कमजोर वर्गीय महिलाओं,युवकों व बालकों के लिए आश्रम क्लब, अनाथालयों की योजना बनाना एवं उन्हें संचालित करना।

लक्ष्मीदेवी शर्मा — राजीव कुमार धीरज उपाध्याय Deepak

मिलान किया

कार्यकारिणी प्रबन्ध समिति संचालित इकाई हेतु ट्रस्टीज नियम उपनियम बनाकर देंगे। इनमे आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव होगे निर्णय सर्वसम्मति से होगे लेकिन ट्रस्ट अध्यक्ष का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

13. ट्रस्ट अध्यक्षः- यह है कि ट्रस्ट अध्यक्ष/सैटलर मुझे श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर या मृत्यु पश्चात श्री दीपक कुमार जो इस डीड मे शामिल हैं को ही होगा। सभी ट्रस्टीयो के अधिकार समान रहेगें। इस प्रकार स्वत बने अध्यक्ष उन सभी शक्तियों के स्वामी होगे। जो प्रारम्भिक सैटलर श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा के पास है एवं निजी विवेक से इन शक्तियों का उपयोग करेंगे।

14. इस ट्रस्ट के किसी भी ट्रस्टीज का अपारिधक या असवैंधानिक गतिविधि में शामिल होना पुष्ट होता है तो ऐसे ट्रस्टी का स्वयं का दायित्व होगा।

15. ट्रस्ट मीटिंगः- ट्रस्ट की मीटिंग वर्ष में एक बार अवश्य की जायेगी। वह आवश्यकतानुसार 3 दिवस के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है। ट्रस्ट द्वारा गठित कार्यकारी उपसमिति संचालन इकाई हेतु अपनी मीटिंग 3 मास में करेंगें वह ट्रस्ट के पास प्रतिवेदन सुझाव प्रस्तुत करेगी। उस पर ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

15(1) ट्रस्ट अपनी वार्षिक बैठक मे विशिष्ट व्यक्तियों से भी विचार विमर्श कर सकेगा। बहुमत की स्थिति में दो तिहाई उपस्थित सदस्यों के मतों से निर्णय मान्य होगा। वह गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

15(2) उपर्युक्त ट्रस्ट स्थायी होगा इसे बंद नही किया जा सकता।

16. ट्रस्ट के सुचारू संचालन हेतु वेतनिक कर्मी रखे जा सकेगे। जिनका वेतन भुगतान ट्रस्ट से होगा इन कर्मचारियों की नियुक्ति के समय सेवा वृद्धि लिखित दस्तावेज वेतन बढ़ोतरी आदि सम्पूर्ण कार्य में मेरी (चैयरमैन सैटलर) की स्वीकृति अतिंम होगी।

17. किसी भी विधिक प्रकरण में राज्य या न्याय द्वारा प्रन्यास सम्पत्ति या उसका कोई भाग अवाप्त किया जाता है तो तत्सम्बन्धी आपूर्ति प्रन्यास जमा सम्पत्ति से ही होगी। किसी भी ट्रस्टी की व्यक्तिशः जिम्मेदारी इसमें नही होगी।

18. ट्रस्ट के बेहतर संचालन हेतु कोई भी नियम या उपनियम ट्रस्टीज की बहुमत से बनाया जायेगा जिसमें चैयरमैन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

लक्ष्मी देवी शर्मा राजीव कुमार धीरज उपाध्याय Deepak

मिलान किया

16. बाल-विवाह,दहेज प्रथा,बन्धुआ मजदूरी एवं बहुमति प्रथा,महिला अत्याचार के चलन को समाप्त करने के समस्त प्रयास करना और चेतना जागृति केन्द्रों तथा सभा सम्मेलनों आदि की व्यवस्था करना।

17. राज्य सरकारों,केन्द्रीय सरकार से समाज कल्याण,मानव संसाधन विकास स्वास्थ्य मंत्रालय,ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों से या इनके अधीनस्थ अन्तर्गत गठित परिषदों आदि से हर प्रकार की आवश्यकतानुसार सहायता ऋण व अनुदान प्राप्त करना। स्थानीय निकायों,समृद्ध उद्योगपतियों व व्यापारियों तथा इच्छुक दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। एन.जी.ओ. के रूप मे कार्य करना व स्वयं सहायता समूहो का गठन करना।

18. व्यसन मुक्ति अभियान हेतु जन-जागरण,व्यसनमुक्ति प्रदर्शनी एवं व्यसयी उपचार सम्बन्धी कार्य करते हुए जन चेतना शिविर,टेली-फिल्मों का निर्माण करना। इस कार्य हेतु सरकार से हर सम्भव सहायता ऋण व अनुदान के रूप में प्राप्त करना।

19. निराश्रित एवं गरीब पुरूष एवं महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता एवं केन्द्र खोलना,कानूनी सहायता और अधिकार दिलाना तथा इस आधार पर सरकार से सहायता प्राप्त करना।

20. पर्यावरण प्रदुषण हेतु जन-जागरण करना,प्रदर्शनी लगाना, बागवानी,सामाजिक स्तर पर पौधों को वितरित करना। पर्यावरण प्रदुषण पर आधारित अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना। इसके लिए सरकारी,गैर सरकारी सहायता,ऋण व अनुदान प्राप्त करना। पर्यटन व पुरातत्व विभाग की योजनाओं मे कार्य करना।

21. संस्था कार्यक्रमोके सफल संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना।

22. संस्था को सर्वव्यापी बनाने हेतु समस्त राजस्थान में आवश्यकतानुसार संस्था की शाखाएं खोलना और जरूरतमंदो को लाभ पहुंचाना।

23. जनहितार्थ वाचनालय, पुस्तकालय स्थापित करना तथा इसमें सरकार की नागरिकों की तथा स्वयंसेवी संगठनों की मदद करना।

24. संस्था की सदस्यता में राष्ट्रीय विचारधारा विशेष कार्यक्रमों को प्रतिनिधित्व करना।

25. संस्था की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार सरकार से परिवहन की मांग करना,परिवहन सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र एवं कार्यशाला खोलना,इसके लिए सरकार से हर सम्भव आर्थिक सुविधा लेना।

मिलान किया

यह प्रन्यास विलेख राजस्थान राज्य प्रन्यास पंजीकरण 1952 के पंजीकरण नियम द्वितीय परिशिष्ट कमांक 64 की प्रविष्टि के उपबंध के अनुसार 100 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित है।

लक्ष्य चैरीटेबल ट्रस्ट सुरतगढ़ का प्रन्यास विलेख(ट्रस्ट डीड) मैंने अपने स्वस्थ मन व बुद्धि से स्वेच्छा पूर्वक शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में निष्पादित की है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांकः11.12.2007
सुरतगढ़

लक्ष्मी देवी शर्मा

श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा
हस्ताक्षर
अध्यक्ष सैटलर

सहमति हस्ताक्षर ट्रस्टीगणः-
हम निम्नलिखित हस्ताकरकर्ता इस ट्रस्ट के स्वेच्छा से ट्रस्टी होने का गौरव स्वीकार करते है।

क्रं. सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा पत्नि श्री सुशील कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	लक्ष्मी देवी शर्मा
2	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	राजीव कुमार
3	श्रीमती धीरज पत्नि श्री राजीव कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	धीरज उपाध्याय
4	श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री सुशील कुमार	वार्ड नं0 18 विवेकानन्द चौक,सुरतगढ़	Deepak
5	श्रीमती बिन्दू यादव पत्नि श्री उमाशंकर यादव	3/102,आरएचबी कॉलानी, सुरतगढ़।	BY
6	श्री सत्येन्द्र कुमार सुरा पुत्र श्री शिव नारायण रामसुरा	जीएफसी कॉलानी ,सुरतगढ़	सत्येन्द्र कुमार

साक्षी

साक्षी

परिवहन एवं सड़क संकेत(चिन्ह)की जानकारी देकर नागरिकों व छात्रों को जागरू करना।

26. पुस्तकें प्रकाशित करना, शोधपत्र-पत्रिकाओं और अन्य रचनाओं की मुद्रित प्रकाशित तथा प्रसारित और विकय करना।

27. खेलों के प्रचार एवं प्रसार हेतु स्टेडियम का निर्माण करना,खेल केन्द्रों की स्थापना करना, खेल मैदानों का निर्माण करवाना इस हेतु सरकार से भूमि प्राप्त करना एवं आर्थिक सुविधा लेना।

28. ग्रामीण विकास योजना के कार्य करना,समन्वित विकास योजना के माध्यम से पानीय जल योजना, स्वल्य मूल्य मकान निर्माण करवाना,ग्रामीण सड़क परियोजना, सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना,ग्राम स्वच्छता,महिला बाल विकास योजना कार्यक्रम तथा रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलवाना।

29. संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्य सम्पूर्ण राजस्थान में सामाजिक,मानवीय,नैतिक बन्धुत्व-आर्थिक,शैक्षिक नागरिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों मे जाति उत्पीड़न मानवता जिसमें युवा वर्ग,महिलायें,अनुसूचित जाति जन-जातियां,अल्प संख्यक शमिल है, का उत्थान और उनके विकास के लिए शिविर शैक्षिक संस्थानों आदि तथा अध्यायों से मार्ग-दर्शन करना है। इन क्षेत्रों मे आत्मनिर्भर बनाकर क्षमतापूर्ण नेतृत्व के व्यक्ति तैयार करना है। इसके साथ ही जनमानस के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों मे शौध कार्य करना एवं संस्था सम्पूर्ण राजस्थान मे वोकेशनल शिक्षा के प्रशिक्षण संचालित करने और शाखाओं के अन्तर्गत कोर्डिनेटर को नियुक्त करने सम्बन्धित अधिकार राज्य कार्यालय से प्राप्त होगा। जिसके आधार पर जिला शाखा मे रचनात्मक कार्य करने हेतु सक्षम होगी।

30. संस्था दलित वर्गो,अनुसूचति जाति,अनुसूचित जनजाति,आदिवासी,अल्पसंख्यक वर्गो आदि के पुराने,पैतृक सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमोको संचालित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

31. केन्द्रीय,प्रदेशीय सरकारों द्वारा प्रत्येक वर्गो के उत्थान एवं विकास के लिए प्रारम्भ किए गए सामाजिक,शैक्षणिक,आर्थिक कार्यक्रमों,बीस सूत्रों कार्यक्रम सहित अय योजनाओं/परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन में सरकारों से भरपूर सहयोग लेगी व देगी और हर वर्ग के सदस्यों को योजनाओ-परियोजनाओं का लाभ उठाने मे सहायता देकर सशक्त बनायेगी।

मिलान किया

32. संस्था किसी भी व्यक्ति,फर्म या कम्पनी संस्थान व सरकार से अंशदान,अनुदान नकद या वस्तु रूप में स्वीकार करेगी तथा मानव कल्याण में प्रयोग करेगी।

33. आर्थिक प्रगति हेतु केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड,समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय व प्रदेशीय सरकारों से ऋण अनुदान प्राप्त करना एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था करना। संस्था आवश्यकतानुसार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डो/ग्रामघोग आयोग के अधीनस्थ योजनाओं के संचालनार्थ इनसे ऋण अथवा अनुदान के विपक्ष में संस्था की इसके सदस्यों तथा गैर सदस्यों की अचल सम्पत्ति बतौर जमानत बंधक रखी जावेगी।

34. संस्था दलित वर्गो पर होने वाले सामाजिक अन्याय शोषण और अत्याचारों को समाप्त कराने हेतु न्याय दिलाने में हर सम्भव प्रयास करेगी। संस्था उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में दलित उत्पीड़ित सदस्यों को निःशुल्क कानूनी परामर्श तथा सहायता की व्यवस्था करेगी।

35. संस्था भूमिहीन,दलित वर्गो के लिए सदस्यों को नकद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि दिलवाने और गृह निर्माण योजनायें बनाने,छात्रावास बनाने, सड़क निर्माण कार्यो में सहायता दिलाने का भी सतत् प्रयास करती रहेगी।

36. डाक्टर,नर्स,टीचर,लैक्चरार,प्रोफेसर इत्यादि को प्रशिक्षण प्रदान करना।

37. शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रचार प्रसार एवं कुपोषण निवारण हेतु कार्य करना।

38. बेरोजगार युवक, युवतियों को सरकारी विभाग/गैर सरकारी विभाग/अनुदानित/निगमों/निकायो/संस्थाओ आदि में सविदा के आधार पर नियुक्ति करवा रोजगार दिलाना ताकि उनके उच्च शिक्षा से समाज को सृजनात्मक विचारधारा मिल सके तथा बेरोजगारी कम हो सके।

9. ट्रस्ट मण्डलः- सुनिश्चित एवं स्वीकृत आयोजनों हेतू जो भी स्थाई एव अस्थाई भवन व्यवस्था,सुरक्षा सुविधा,अवैतनिक/सवैतनिक कर्मचारी की व्यवस्था करे सक्षम होगा।

10. सभी आयोजन ट्रस्ट मण्डल में सहमति एवमं अन्तिम स्वीकृति/निर्णय चैयरमैंन द्वारा दिये जाने पर ही लागू होगे।

11. ट्रस्ट की आय के स्त्रोतः- इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक कोष राशि स्थायी 5100/- रूपये है।

मिलान किया

न्यायालय सहायक आयुक्त,देवस्थान विभाग बीकानेर संभाग,बीकानेर ।

मु0न0:–63/2007

पीठासीन अधिकारी,
एस0राजपुरोहित,
सहायक आयुक्त

धारा 18 राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत जॉच बाबत लक्ष्य चेरीटेबल ट्रस्ट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

निर्णय

दिनाक – 27-05-2008

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि लक्ष्य चेरीटेबल ट्रस्ट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का पंजीयन किये जाने हेतु श्रीमति लक्ष्मी देवी शर्मा द्वारा प्रपत्र संख्या 6 प्रस्तुत किया गया ।

प्रथम दृष्टया प्रपत्र संख्या 6 सही पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2)नियम 21 के तहत उजरदारी आमंत्रित किये जाने हेतु सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रपत्र संख्या 7 जारी किये गये । जिनका प्रकाशन दैनिक भास्कर के अंक दिनाक 3 जनवरी 2008 में कराया गया । नियत उजरदारी अवधि में कोई आपति प्राप्त नही हुई ।

प्रार्थी ने अपने प्रपत्र संख्या 6 के समर्थन में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये गये–

1 प्रन्यास पंजीयन हेतु प्रपत्र संख्या 6 प्रदर्श–1

2 प्रन्यास का विधान प्रदर्श–2

3 सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रपत्र संख्या 7 प्रदर्श–3

प्रार्थी श्रीमति लक्ष्मीदेवी एव राजीव कुमार की साक्ष्य अंकित की गई एव इनकी बहस सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज,साक्ष्य एव बहस पर मनन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते है कि –

1. प्रार्थी श्रीमति लक्ष्मीदेवी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजो से स्पष्ट है कि लक्ष्य चेरीटेबल ट्रस्ट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एक सार्वजनिक प्रन्यास है । जो राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 2(11)में परिभाषित एक लोक न्यास है ।

2. इस प्रन्यास की चल – अचल सपदा का ब्यौरा निम्नानुसार है ।

चल सपदा–

1 प्रन्यास में चल संपदा के रूप मे 51,00/– रूपयें नकद है ।

सत्यप्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग बीकानेर

मिलान किया

PDFCompressor

अचल संपदा–

वर्तमान में प्रन्यास की कोई अचल संपदा नही है ।

3. लक्ष्य चेरीटेबल ट्रस्ट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में स्थित होने के कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित है ।

4. इस प्रन्यास के वर्तमान में निम्न प्रन्यासी है –

1. श्रीमति लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री सुशील कुमार वार्ड नंबर 18 विवेकानन्द चौक,सूरतगढ
2. श्री राजीव कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार वार्ड नंबर 18 विवेकानन्द चौक,सूरतगढ
3. श्रीमति धीरज पत्नी श्री राजीव कुमार, वार्ड नंबर 18 विवेकानन्द चौक,सूरतगढ
4. श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री सुशील कुमार, वार्ड नंबर 18 विवेकानन्द चौक,सूरतगढ
5. श्रीमति बिन्दु यादव पत्नी श्री उमाशंकर यादव 3/102 आर0एन0वी0कॉलानी,सूरतगढ
6. श्री सत्येन्द्र कुमार सुरा पुत्र श्री शिवनारायण रामसुरा जी0एफ0सी0कॉलानी,सुरतगढ

5. प्रन्यास के प्रन्यासियों के उत्तराधिकारी की रीति ट्रस्ट डीड में लिखे अनुसार तय की जायेगी ।

6. इस प्रन्यास का उदगम जरिये ट्रस्ट डीड दिनाक 11.12.2007 को हुआ। इस प्रन्यास के मुख्य उद्देश्य मे उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था करना व साक्षरता एवम सतत् शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करना । विस्तृत विवरण ट्रस्ट डीड में अंकित है ।

7. प्रन्यास की वर्तमान मे वार्षिक आय–व्यय नही है ।

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 6 पर अविश्वास करने का कोई वाछित कारण नही है । प्रार्थी ने अपने साक्ष्य मे प्रपत्र संख्या 6 प्रदर्श के सत्यता की पुष्टि की है ,जिसे सही माना जाता है ।

पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड,साक्ष्य व बहस पर मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि लक्ष्य चेरीटेबल ट्रस्ट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एक सार्वजनिक प्रन्यास है । जो राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त, शक्तियो का प्रयोग करते वर्णित न्यास के पजीयन किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

सहायक आयुक्त

प्रमाणित प्रतिलिपि

मिलान किया

...using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत संधारित रजिस्टर ,प्रपत्र संख्या 1 में प्रविष्टिया की जावें । अधिनियम के नियम 19 के तहत अध्यक्ष पद नाम से प्रमाण पत्र जारी किया जावे । निर्णय बाद तामील नकल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(एस0राजपुरोहित)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
बीकानेर ।

आदेश आज दिनांक 27-05-2009 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एस0राजपुरोहित)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
बीकानेर ।

मिलान किया।